न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

(प्रार्थी का पूरा नाम व पता)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी

"खाता दुरूस्ती"

(रा. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक राजस्व / 2020 /

दिनांक –

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / की जाती है।

दुरूस्त किया जाना उचित है।

24/11/2021

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

–: आदेश :–

दिनांक :– 24/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू० उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को र रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व में दर्ज की जानी है।)
1.	गुढागौड़	2015-18	361	मानो पुत्र जीगा का दानी नुसवाली लन नेवी	मानाराम पुत्र जीगार का डेह

नोट :–शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उ

दिनांक :

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat

Date: 2023.01.09 12:19:31 IST

Reason: SelfAttested

क्रमांक :– राजस्व / 2020 / 1589-90

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते सूचनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner